न्यूज गैलरी

मैत्रीबाग में फ्लावर शो का आयोजन

भिलाई (नव प्रदेश)। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 04 फरवरी, 2018 (रविवार) को मैत्रीबाग में फ्लावर शो-2018 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु मैत्रीबाग में आवश्यक सभी तैयारियाँ लगातार जारी हैं।

विवेकानंद जयंती आज

भिलाई (नव प्रदेश)। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसायटी सिरसा रोड कोहका में 12 जनवरी को विद्यालय परिसर में विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. राउल गुलाटी हृदय रोग विशेषज्ञ, अध्यक्षता एसएन विश्वास समाजसेवी, विशिष्ट अतिथि अंकुश देवांगन, डीएस विद्यार्थी, केएफ एंथोनी, संतुराम साहू समाजसेवी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी संस्थापक सदस्य बीके साहू ने दी।

रूद्र शिवा सेवा समिति का जागरूकता रैली

भिलाई (नव प्रदेश)। रूद्र शिवा सेवा समिति ने गत दिनों साक्षरता चौक से जागरूकता रैली निकाली। मृत्युंजय भगत ने बताया कि बाल महिला शोषण, बालश्रम के खिलाफ गरीबों की मदद करना और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह जागरूकता रैली निकाली गई। इस वाहन रैली में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। साक्षरता चौक से होते हुए और अंबेडकर को पुष्प अर्पित करते जवाहर मार्केट होते हुए जलेबी चौक में गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर केम्प-1 होते हुए साक्षरता चौक में समाप्त हुई। इस रैली में माइक संचालन नंद किशोर दुबे ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष गिरजाशंकर, मुकेश सोनकर, विमल ठाकुर, नंद किशोर दुबे, गुरुनंदन भगत, अरविंद सिंह, विक्की मोदी, आदित्य कुमार, पवन भगत, केके सिंह, राकेश साव, गणेश गुप्ता, ध्रुव पाण्डेय, आशीष साव, आदि उपस्थित थे।

गुरू घासीदास के आशीर्वाद से लगातार कार्य करने का अवसर मिल रहा है : डॉ. रमन सिंह

नंदिनी अहिवारा. (नव प्रदेश)

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बाबा गुरू घासीदास एक महान संत थे। उनके दरबार में जो भी जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उनके आशीर्वाद से लगातार काम करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जी ने जो संदेश और उपदेश दिया है, वह सर्व समाज के लिए हितकारी है। उनके उपदेश और संदेश को आज करोड़ों लोग आत्मसात कर समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दौर में समाज उपेक्षित था, उस दौर में बाबा ने समाज को एक दिशा देने का कार्य किया है। विपरीत परिस्थिति में उगता हुआ सूरज बनकर आशा, विश्वास की राह दिखाने का कार्य किया है। गुरू घासीदास के बताए गए मार्ग पर चलकर आज सतनामी समाज जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहा है। पुरूषों के साथ ही महिलाओं में भी जागृति आई है और वे कदम से कदम मिलाकर समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा के ग्राम पंचायत गिरहोला में आयोजित संत समागम मिनी गिरौदपुरी सतनाम धाम कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आगे कहा कि वे जब पार्षद थे तब से लेकर अब तक गिरौदपुरी जाकर बाबा जी का दर्शन करते रहे हैं। गिरौदपुरी की महानता को देखकर उनके मन में आस्था के अनुरूप विकसित करने का सपना होता था। बाबा जी के आशीर्वाद से उन्हें गिरौदपुरी के साथ ही अन्य सतनामी समाज के धार्मिक स्थलों को विकसित करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम पंचायत के माध्यम से इस वर्ग के लोगों के कल्याण और विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 30 लाख रूपए की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सतनामी समाज के धर्म गुरू बालदास साहेब ने समाज के लोगों से कहा कि बाबा जी ने सत्य, प्रेम और भाईचारा का जो संदेश दिया है, उसे आत्मसात कर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच-नीच, जाति-पाति के भेद को मिटाकर मानव-मानव एक समान का संदेश दिया है। बाबा जी का यह संदेश सर्व समाज के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने राज्य की खुशहाली और विकास के लिए समाज के लोगों को अपना योगदान देने कहा।

प्लेट मिल में 5-एस एवं सुरक्षा जागृति रैली

भिलाई (नव प्रदेश)। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल विभाग द्वारा 8 जनवरी, 2018 को प्लेट मिल मुख्य द्वार से 5-एस एवं सुरक्षा जागृति रैली का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ) श्री टी पांडियाराजा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सहभागियों को सुरक्षा एवं 5-एस प्रणाली का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने रैली को प्रारम्भ करते हुए सुरक्षा ध्वज प्रदान किया।

इस कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक (यॉंत्रिकी) श्री जे के सेठी, उप महाप्रबंधक (प्रचालन) श्री प्रमोद कुमार, उप महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल) श्री व्ही जे मैथ्यु, उप महाप्रबंधक (प्रचालन) श्री व्ही स्वामीदास एवं सहायक प्रबंधक (कार्मिक) श्री रोहित कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इस अवसर पर महाप्रबंधक (प्लेट मिल) श्री अरविंद कुमार सिंह ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए सभी को नववर्ष की बधाईयाँ दीं। इस दौरान उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं 5-एस प्रबंधन पद्धति को अपनाने तथा प्लेट मिल को सुरक्षित व स्वच्छ रखने हेतु जोर दिया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में उप महाप्रबंधक एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारी (प्लेट मिल) श्री आर के बिसारे द्वारा 5-एस एवं सुरक्षा जागृति विषय तथा आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं उप महाप्रबंधक (यॉंत्रिकी) श्री सी व्ही आर के राव एवं 5-एस चैम्पियन ने 5-एस के विषय में विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसकी संस्कृति को अनवरत् बनाये रखने की अपील की।

विदित हो कि प्लेट मिल ध्वज स्थल से प्रारम्भ होकर रफिंग स्टैंड, फिनिशिंग स्टैंड, पेंट मार्किंग मशीन, एरिया-2 फिनिशिंग होते हुये नार्मलाइजिंग अनुभाग में रैली का समापन हुआ।

कार्यक्रम के अंत में श्री बी एस चग्गर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

एसीडब्ल्यूई विभाग में गुणवत्ता कक्ष का उद्घाटन

भिलाई (नव प्रदेश)। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसीडब्ल्यूई विभाग के 2.5 एमटी मिल जोन (क्रेन-सेक्शन) में 08 जनवरी, 2018 को उप महाप्रबंधक प्रभारी (उपयोगिताएँ) श्री ए के मंडल के मुख्य आतिथ्य में क्यूसीएफ्आई, हैदराबाद के एडीशनल डायरेक्टर श्री डी के दी दास ने विभागीय गुणवत्ता कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीडब्ल्यूई के विभाग प्रमुख श्री सी एस एन मूर्ती ने की। इस अवसर पर व्यावसायिक उत्कृष्टता विभाग के उप महाप्रबंधक श्री योगेश शास्त्री एवं श्री सुनील देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में ÷बयार÷ क्वालिटी सर्कल टीम के फेसिलिटेटर श्री एस पी निगम और टीम के सदस्यों सर्वश्री एस सी पटेल, एस महंती, अनिल देशपांडे, आर के सोनी, निखलेश लुकास व अतुल पोहेकर का सक्रिय योगदान रहा। विभागीय क्वालिटी सर्कल टीम बयार के सदस्यों द्वारा नव-उद्घाटित कक्ष में अपनी कार्यकुशलता व आंतरिक संसाधनों से तैयार अपने कार्यक्षेत्र में उपयोगी विभिन्न इकाइयों तथा नवविकसित प्रणालियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनके द्वारा संयंत्र के मिल जोन में स्थापित विभिन्न वातानुकूलन प्रणालियों में आधुनिकीकरण कार्य कर मेंटेनेंस कार्य को आसान व सुरक्षित बनाकर उत्पादन को प्रभावित होने से बचाया गया, जिससे प्रबंधन को बड़ी संख्या में आर्थिक बचत हुई। साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित करने में सफलता मिली है। टीम के इस महत्वपूर्ण कार्य की सभी अतिथियों एवं उपस्थितों ने प्रशंसा की और इसे अन्य कार्मिकों के लिए अनुकरणीय बताया।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा के न्यायालय में मामला क्रमांक 201801101200004/1

विषय अ-27 मामले की श्रेणीः राजस्व 2017-2018
रिसाली प.ह.न. 00022 (1010(0.200 हे.)
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - कमल किशोर
अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदकगण स्व. तुलाराम देशमुख के वैध वारिस है। स्व. तुलाराम देशमुख के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम रिसाली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. रिसाली तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1010 कुल क्षेत्रफल 0.20 हे. आवेदकगण को विरासत में प्राप्त हुई है। यही भूमि इस प्रकरण में वाद भूमि है। आवेदकगण का आपस में आपसी बंटवारा हो गया है एवं पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पृथक-पृथक निवास व खाते कमाते हैं। आवेदकगण वाद भूमि की सुविधाजनक तरीके से व्यवस्था हेतु आपसी पंजीकृत बंटवारा कर पृथक-पृथक काबिज होकर उसका पृथक-पृथक उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। किंतु राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के संयुक्त नाम पर दर्ज होने के कारण भूमि की व्यवस्था में कठिनाई हो रही है। अतः खाता विभाजन कराना आवश्यक हो गया है। पंजीकृत बंटवारानामा के आधार पर खाता विभाजन किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त संबंध में आपको किसी प्रकार की दावा/आपत्ति पेश करनी है तो पेशी दिनांक 29.01.2018 को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। पेशी दिनांक के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04.01.18 को जारी किया जाता है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी , दुर्ग (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. /14 अ-20(3)वर्ष 2017-18

ईश्तहार

आवेदिका श्रीमती कल्यानी सेन गुप्ता पति स्व.पी.सी.सेन गुन्ता निवासी एच.आई.जी.-93 आमदी नगर हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि आमदी नगर हुडको भिलाई में स्थित खसरा नंबर 1/2,2/2 का दु. प्लाट नंबर एच.आई.जी. -93 रकबा 330.00 वर्गमीटर भू-खंड / मकान धारक पी.सेन.गुप्ता आ. एस.सेन गुप्ता निवासी आमदी नगर हुडको एच.आई.जी.93 के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक पी.सी.सेन गुप्ता की मृत्यु दिनांक 27.01.2017 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है । मृतक धारक का वारिसान श्रीमती कल्यानी सेन गुप्ता, अनीष एवं प्रतीप है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नहीं है। आवेदिका द्वारा मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जो कि प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो,तो प्रकरण की सुनवाई 31.01.2018 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतः या किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप / आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 01.01.2018 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया ।

नजूल जांच अधिकारी
दुर्ग

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

भिलाई इस्पात संयंत्र
भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया, 490001

CORRIGENDUM :
Ref: विज्ञापन क्र. बीएसपी-235/17-18, दिनांक 07.12.2017
GlobalTender Notice No. 2017100021 Dated :17.11.2017 (in place of Global Tender 2017400021)
Bhilai Steel Plant intends to procure of High Alumina Refeactory cament (CAL-AL-75) on Global Tender basis for RMP-1 required for the F.Y. 2017-18 & 2018-19.
Tender are invited from reputed overseas manufacturer and indigenous manufacturers of the above item.
Place log on to our tender website https://sailtenders.co.in for derailed specifications, other tender terms and conditions, etc Tenderers have to submit their offer in Tender Box,TOC (Tender Opening Cell) Ground Floor, Ispat Bhavan, Bhilai Steel Plant, Bhilai.
Extended due date of submission & opening of offer as under :
Last date for tender submission : 18.01.2018, Before 1.00 P.M.
Date of opening bids : 19.01.2018,11.00am onwards
- General Manager (MM)
विज्ञापन क्र. : बीएसपी-235(Corri.)/17-18, दिनांक 11.01.2018
पंजीकृत कार्यालय, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003
corporate indentity Number: L27109DL1973GO1006454,Website:www.sail.co.in
हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड, राजनांदगांव (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक /71/ले.शा./लो.स्वा.यां. खंड/2017-18 राजनांदगांव, दिनांक 08/01/2018

एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से राजनांदगांव जिले के अंतर्गत एकीकृत पंजीयन प्रणाली के राज्य मद के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड छुईखदान के ग्राम रैमडवा एवं विकासखण्ड डोंगरगांव के ग्राम टप्पा में 90 मि.मी. व्यास 6 कि.ग्रा./से.मी.2 एवं 110 मि.मी. व्यास 6 कि.ग्रा./ से.मी.2 पी.व्ही.सी. पाईप लाईन बिछाने, जोड़ने इत्यादि का कार्य संलग्न शेड्यूल अनुसार (समस्त कार्य सामग्री सहित) समूह क्रमांक के लिए धरोहर राशि रुपये 6000/- एवं समूह क्रमांक-2 के लिए धरोहर राशि रुपये 6800/- दोनों समूहों के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य 750/- निर्धारित है।

समूह क्र.	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	कोरे निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन खंड कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1.	उपरोक्त कार्य विकासखड छुईखदान के ग्राम रैमडवा नलजल प्रदाय योजना।	7.96 लाख	29.01.2018
2.	उपरोक्त कार्य विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम टप्पा नलजल प्रदाय योजना।	9.05 लाख	

नोट :- उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जी-47209/3

कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
राजनांदगांव (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा ,तहसील धमधा जिला, दुर्ग

रा.प्र.क्र./508 /अ-06 /17-18

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदकगण भीतेश कुमार पिता स्व.रामनरेश एवं अन्य 02 निवासी -ग्राम बोरसी , तहसील धमधा जिला दुर्ग द्वारा ग्राम -बोरसी प.ह.न. 44 रा.नि.मं. अहिवारा तहसील धमधा जिला स्थित भूमि ख नंबर 450,451/1 रकबा क्रमशः 3.37,1.28 हें कुल ख नंबर 02 कुल रकबा 4.65 हें भूमि जो कि आवेदकगण भीतेश दिव्या पिता रामनरेश भुनेश्वरी बेवा रामनरेश के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख मे संयुक्त रूप से शामिलात खाते में दर्ज हैं उक्त आवेदित भूमि से संबंधित किसान किताब गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति किसान किताब जारी किये हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन -पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि का किसान किताब जारी किये जाने पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 19.01.2018 तक पेश कर सकते हे नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
अहिवारा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक // प्र.तह. 2017 भिलाई दिनांक 26/12/2017-18
प्रति
प.ह.न. 19 अ साकिन कुरूद
विषय द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका बाबत्

आवेदक निर्मल ठाकुर आ. स्व. थनवार साकिन कुरूद द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न. 19 अ रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसल व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख. नंबर 424 रकबा 0.340 हे. से सबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है लंबित है। अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.01.2018 तक या उसके पूर्व स्वयं आ अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com

//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 319/17-18
वार्ड का नाम- गुरू गोविंदसिंह-34

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरू गोविंदसिंह-34 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 01/50 सरस्वतीनगर जो कि निगम अभिलेख में श्री मोहम्मद रिजवान S/O मरहुम शेख मुस्तकीम के नाम से दर्ज है, जिसको श्री तामेश्वरलाल साहू S/O किसनलाल साहू रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 11.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
email rmczone3@gmail.com

//ईश्तहार/अधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 318/17-18
वार्ड का नाम- सिविल लाईन-42

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सिविल लाईन-42 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 42/28 पंचशील नगर जो कि निगम अभिलेख में श्री जी.सी. श्रीवास्तव S/O सी.एल. श्रीवास्तव के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती कुमकुम गोपाल एवं श्रीमती अनुपमा वर्मा पिसरान स्व. जी.सी. श्रीवास्तव रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
दिनांक 11.1.18 **जोन क्रमांक-3**
नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा के न्यायालय में मामला क्रमांक 201712101200078/09

विषय अ-6अ मामले की श्रेणीः राजस्व 2017-2018
खोपली प.ह.न. 00043 (हे.)
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - नेतराम
अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक नेतराम पिता स्व. बरातू जाति तेली निवासी ग्राम व पोष्ट खोपली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदक एवं आवेदक के भाई अनावेदक के शामिलात नाम से मौजा ग्राम खोपली प.ह.नं. 43 राजस्व निरीक्षक अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 873 एवं 881 रकबा 0.790 एवं 0.990 हे. लगान 4.24 रु. वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक एवं अनावेदक आपसी सहमति से पूर्व में बंटवारा हो चुके हैं और अपने-अपने जमीन पर काबिज हैं और कास्त करते चले आ रहे हैं वर्तमान में एक ही ऋणपुस्तिका होने से कास्त करने में तथा अन्य कार्य को करने में परेशानी हो रही है जिससे हम कास्त के आधार पर बंटवारा प्राप्त करना चाहते हैं जिसे अलग-अलग ऋणपुस्तिका प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30.12.2017 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 30.12.17 को जारी किया जाता है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर (छ.ग.)

राजिम कुंभ कल्प मेला स्थानीय समिति रायपुर (छ.ग.)
Email : deptt_culture@yahoo.co.in, Website : www.cgculture.in
Tele-Fax (0771)-2234731 (0), Phone no. 0771-2537404 (0)
क्रमांकः 05/नि.क्र./01/सं.पु./रा.कु.मे./2018 रायपुर, दिनांक 09/01/2018

राजिम कुंभ कल्प मेला 2018
संक्षिप्त निविदा सूचना

राजिम कुंभ कल्प मेला-2018 के आयोजन हेतु संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, रायपुर स्थित राजिम कुंभ कार्यालय द्वारा रायपुर, राजिम, नवापारा, चम्पारण्य, लोमेश ऋषि आश्रम परिसर तथा विभाग द्वारा निर्देशित स्थलों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यों हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रपत्र में आयटम के लिए निर्धारित तिथि अंकित की गई है। प्राप्त निविदाएं उल्लेखित तिथियों पर उपस्थित सदस्यों/ निविदाकर्ताओं के सम्मुख खोली जायेगी। कार्यों का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय में प्रपत्र निर्धारित राशि के भुगतान का कार्यालयीन दिवस कार्यालयीन समय पर निर्धारित तिथियां तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

क्र.	कार्य का नाम/विवरण	अमानत राशि	फार्म का मूल्य
निविदा क्रमांक 1 से 14 तक के फार्म खरीदने की तिथि 15/01/2018 सायं 2.00 बजे तक। जमा करने की तिथि 15/01/2018 को दोपहर 3.00 बजे तक निविदा खोलने की तिथि 15/01/2018 को सायं 4.00 बजे			
1.	सांस्कृतिक मंच निर्माण एवं साज सज्जा, सूचना केन्द्र, व्ही.आई.पी. कक्ष तथा अस्थायी कार्यालय का निर्माण कार्य	10000/-	1000/-
2.	संत समागम व अन्य संबंधित क्षेत्रों में टीन का घेरा लगाना तथा वहां के मुख्य-मुख्य	10000/-	1000/-
3.	किराया भंडार सामग्री (टेन्ट व्यवस्था) यथा- सोफा, सेंटर टेबिल, प्लाई, तखत टेबिल, शामियाना, कुर्सी, दरी, कारपेट, बर्तन आदि कार्य	10000/-	1000/-
4.	डोम लागना तथा आतंरिक रहवासी केबिन, हॉल कक्ष, पंडाल व्यवस्था का कार्य तथा संत-समागम में प्रवचन के लिए मंच का निर्माण कार्य	10000/-	1000/-
5.	डोम के प्रवेश द्वार व अन्य स्थलों पर फेसियां बनाने आदि कार्य	10000/-	1000/-
6.	प्रचार हेतु इको फ्रेडली फ्रेब्रीक मीडिया में मल्टीकलर प्रिंटिंग सहित	10000/-	1000/-
7.	विविध ध्वज/तोरण निर्माण कार्य	5000/-	500/-
8.	बांस से निर्माण कार्य हेतु आवश्यक हार्डवेयर सामग्री (खीला, बूच, रस्सी आदि) कार्य	5000/-	500/
9.	टी शर्ट, गमछा, कैप हेतु	5000/-	500/-
10.	सीसीटीव्ही कैमरा लगाने हेतु	5000/-	500/-
11.	संत समागम क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था, पंखे, कूलर, लाईट आदि कार्य	10000/-	1000/
12.	फैंसी लाईटिंग स्वागत द्वार (कलकत्ता पैटर्न) कार्य	10000/-	1000/-
13.	मुख्य मंच, सूचना केन्द्र व जुड़े हुए कार्यालयों के कक्ष व मंच के आसपास, मुख्य मार्ग पर विद्युत व्यवस्था आदि कार्य	10000/-	1000/-
14.	नदी में स्थित मेला क्षेत्र की सड़कों व खुले मैदानों के आसपास विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, टावर लाईट फोकस आदि कार्य	10000/	1000/-
निविदा क्रमांक 15 से 29 तक के फार्म खरीदने की तिथि 18/01/2018 सायं 2.00 बजे तक/जमा करने की तिथि 18/01/2018 बजे तक तथा निविदा खोलने की तिथि 18/01/2018 को सायं 4.00 बजे			
क्र.	कार्य का नाम/विवरण	अमानत राशि	फार्म का मूल्य
15.	माईक व्यवस्था/ पी.ए. सिस्टम आदि उपलब्ध कराने कार्य	10000/-	1000/0
16.	साफ-सफाई का कार्य	5000/-	500/-
17.	सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर स्टेज डेकोरिटिव्ह लाईट इफेक्ट लगाने	5000/-	500/-
18.	शाही स्नान हेतु रथ एवं झांकियां प्रदत्त कार्य	5000/-	500/-
19.	कलाकारों/ कर्मचारियों को भोजन व्यवस्था प्रति थाली (सामग्री कारीगर एवं वेटर सहित) कार्य	5000/-	500/-
20.	किराना सामाग्री आपूर्ति कार्य	10000/-	1000/-
21.	अनाज आपूर्ति प्रदाय का कार्य	10000/-	1000/-
22.	यज्ञ सामाग्री प्रदाय का कार्य	5000/-	500/-
23.	फल एवं सब्जी प्रदाय का कार्य	5000/-	500/-
24.	फूल-माला, बुके आपूर्ति का कार्य	5000/-	500/-
25.	दूध प्रदाय कार्य	5000/-	500/-
26.	मिनरल वाटर व्यवस्था कार्य	5000/-	500/-
27.	फोटोग्राफी कार्य	5000/-	500/-
28.	मोमेन्टो (स्मृति चिन्ह) आदि का कार्य	5000/-	500/-
29.	बांस का टट्टा निर्माण आदि का कार्य	5000/-	500/-

विभिन्न कार्यों के निविदा फार्म एवं विस्तृत शर्तों की जानकारी कार्यालयीन समय एवं दिवस पर कार्यालय संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है। पूर्व कार्य अनुभव व सक्षमता से समिति को संतुष्टिकरण अनिवार्यता है। अमानत राशि हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर चेक/ फिक्स डिपाजिट रसीद (डी.आर.) प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अथवा अध्यक्ष स्थानीय समिति राजिम कुंभ मेले रायपुर के नाम पर तथा जो रायपुर में देय हो निविदा के साथ संलग्न किया जावे। किसी भी विषय पर विवाद व स्पष्टीकरण की स्थिति में स्थानीय समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

जी-47252/4

सदस्य सचिव
राजिम कुंभ कल्प मेला स्थानीय समिति
संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा के न्यायालय में मामला क्रमांक 201712101200079/101

विषय अ-6अ मामले की श्रेणीः राजस्व 2017-2018
उतई प.ह.न. 00042 (हे.)
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - राजकुमार
अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक राजकुमार पिता स्व. खम्हन निवासी ग्राम उतई के द्वारा शामिलात नाम से ग्राम उतई प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1141/1 रकबा 0.250 हे. राजस्व अभिलेख में दर्ज है। खातेदार राधाबाई पटेल पति कषलाल पिता खम्हन की दिनांक 05.05.2014 को मृत्यु हो चुकी है एवं जोतकुंवर बाई बेवा खम्हन की दिनांक 24.07.16 को मृत्यु हो चुकी है, खातेदार राधाबाई की मृत्यु पश्चात उनके निम्नानुसार विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने एवं शेषखातेदारों का नाम यथावत रखे जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त संबंध में आपको किसी प्रकार की दावा/आपत्ति पेश करानी है तो पेशी दिनांक 22.01.2018 को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। पेशी दिनांक के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30.12.2017 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 30.12.17 को जारी किया जाता है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा के न्यायालय में मामला क्रमांक 201811101200001/110

विषय अ-6अ मामले की श्रेणीः राजस्व 2017-2018
डूमरडीह प.ह.न. 00041 (465/14(0.022 हे.)
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - श्रीमती बी. मेरी,
अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती बी. मेरी पति श्री बी. चिन्ना निवासी सेक्टर-08 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डूमरडीह प.ह.नं. 41 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 465/14 रकबा 0.022 हे. भूमि के. आवास पिता स्व. के. जॉन के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी के. आवास पिता स्व. के. जॉन की मृत्यु दिनांक 15.05.17 को हो चुकी है तथा पत्नी श्रीमती दानअम्मा की मृत्यु दिनांक 12.03.2001 एव पुत्र के.डेनियल की मृत्यु दिनांक 08.12.2017 को हो चुकी है इनके मृत्यु बाद वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने आवेदन पेश किया है।

उपरोक्त संबंध में आपको किसी प्रकार की दावा/आपत्ति पेश करानी है तो पेशी दिनांक 25.01.2018 को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उक्त न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। पेशी दिनांक के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04.01.2018 को जारी किया जाता है।

मुहर
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र. 518/अ-06/2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक देवेन्द्र सिंह चौहान पिता रघुनंदन, निवासी संतराबाड़ी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग प.ह.नं. 24, स्थित भूमि ख. नं. 1179/85 रकबा 0.016 हे. भूमि जो कि द्रोपती बाई पति रघुनंदन सिंह के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उक्त भूमि के खातेदार द्रोपती बाई पति रघुनंदन सिंह की मृत्यु दिनांक 23.06.2010 को होने से फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के विधिक वारिसानो का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06.01.18 को यह उद्घाषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दि. 06.01.18 मुहर **तहसीलदार**
सुनवाई दि.27.1.18 **दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र. 512/अ-06/2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक गुप्ता, किशोक गुप्ता, राजेश गुप्ता पिता स्व. मूलचंद निवासी शनिचरी बाजार तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख. नं. 1328 रकबा 0.547 हे. भूमि को हकत्यागकर्ता राजेन्द्र, श्रीराम, लक्ष्मी, शोभा, साधना, कलाबाई पिता/पति स्व. मूलचंद निवासी ग्राम शनिचरी बाजार तह. दुर्ग जिला दुर्ग से रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 20.12.17 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र के आधार पर स्वयं का नाम राजस्व अभिलेख में यथावत रखते हुए शेष खातेदारों का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.01.2018 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03.01.18 को यह उद्घाषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दि. 03.01.18 मुहर **तहसीलदार**
सुनवाई दि.23.1.18 **दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 40/अ-20(3)/2017-18

आवेदिका श्रीमती सरिता यादव पति स्व. राजू यादव निवासी गोडपारा वार्ड नं. 06 दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल भूमि शीट क्र. 28 बी भूखंड क्र. 41 क्षेत्रफल 47 वर्गमीटर भूमि आवेदिका के पति धारक राजू यादव आ. बजरंग यादव के नाम नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक की मृत्यु दिनांक 06.08.2013 को हो चुकी है। मृतक धारक राजू यादव के वारिसान उनकी पत्नी सरिता , नाबा. पुत्री लक्ष्मी एवं पुत्र रोहित है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नहीं है। आवेदिका द्वारा मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.01.2018 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखंड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/ आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29.12.17 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर **नजूल जांच अधिकारी**
दुर्ग